निविदा प्रपत्र

(वित्तीय वर्ष –2025–2026, 2026–2027 एवं 2027–2028)

03 वर्षीय हेतु पार्किंग संचालन के लिये आमंत्रित

कार्य का नाम –जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर द्वारा मुनिकीरेती के अन्तर्गत खारास्त्रोत में पार्किंग के संचालन।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी,नरेन्द्रनगर।

निविदा दस्तावेज

1. **निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथि एवं समय:**
   - निविदा सूचना प्रकाशित करने की तिथि – 19.04.2025
   - निविदा प्रपत्र विक्रय/डाउनलोड अवधि – 21.04.2025 से 15.05.2025 तक
   - निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि– 15.05.2025 समय 03:00 बजे अपराह्न तक
   - निविदा खोले जाने की तिथि/समय– 15.05.2025 समय 03:30 बजे अपराह्न तक ।

2. **कार्य का नाम:**
   - जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर द्वारा जिला टिहरी के अन्तर्गत मुनिकीरेती के अन्तर्गत खारास्त्रोत संचालन हेतु निविदा
   - पार्किंग के संचालन की अवधि दिनांक से दिनांक तक 03 वर्ष के लिये मान्य होगी। जिसे आपसी सहमति से बढाया जा सकता है।
   - निविदादाता द्वारा उक्त पार्किंग में पर्ची काटने हेतु इलैक्ट्रॉनिक पी0ओ0एस0 मशीन का प्रयोग किया जायेगा।
   - पार्किंग स्टैण्ड पर सफल निविदादातों को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निम्नलिखित दरों को 6 X 4 फीट माप के 06 बोर्ड अपने व्यय पर जनता के सूचनार्थ लगाने होगें। उक्त बोर्ड को अनुबन्ध अवधि तक अनुरक्षित रखेगा।
   - प्राधिकरण द्वारा पार्किंग हेतु निर्धारित दरें।

     वर्ष 2025–2026 हेतु पार्किंग की दर
   - **दो पहिया वाहन की निर्धारित पार्किंग दरें**

     प्रथम चार घन्टे की पार्किंग दर रू0–20 प्रतिवाहन जी0एस0टी0 सहित।

     चार से आठ घन्टे तक रू0–30 प्रतिवाहन जी0एस0टी0 सहित।

     प्रति दिन– रू0–40 प्रतिवाहन जी0एस0टी0 सहित।
   - **चार पहिया हल्के वाहन (कार, जीप, टैम्पो इत्यादि) की पार्किंग दरें**

     प्रथम चार घन्टे की पार्किंग दर रू0–50 प्रतिवाहन जी0एस0टी0 सहित।
चार से आठ घन्टे तक रू0–80 प्रतिवाहन जी0एस0टी0 सहित।
प्रति दिन– रू0–100 प्रतिवाहन जी0एस0टी0 सहित।
   - **चार पहिया भारी वाहन (बस, ट्रैवलर, ट्रक इत्यादि) की पार्किंग दरें**

     प्रथम चार घन्टे की पार्किंग दर रू0–100 प्रतिवाहन जी0एस0टी0 सहित।
चार से आठ घन्टे तक रू0–150 प्रतिवाहन जी0एस0टी0 सहित।
प्रति दिन– रू0–200 प्रतिवाहन जी0एस0टी0 सहित।

वर्ष 2026–2027 हेतु पार्किंग की दर

वर्ष 2025–26 की दर से 10 प्रतिशत की वृद्धि के अनुसार।

वर्ष 2027–2028 हेतु पार्किंग की दर

वर्ष 2025–26 की दर से 20 प्रतिशत की वृद्धि के अनुसार।

- प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह दो पहिया वाहन एवं चार पहिया वाहन हेतु निर्धारित पार्किंग शुल्क को किसी भी समय बढ़ा सकता है। शुल्क बढ़ाने के बाद पार्किंग हेतु निर्धारित अवधि में से अवशेष बची पार्किंग /अनुबन्ध अवधि का कुल निर्धारित मूल्य को उसी अनुपात में बढाया जाएगा, जो सम्बन्धित के द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी नरेन्द्रनगर में जमा किया जाएगा।

3. निविदा हेतु पात्रता/ अर्हता :

- निविदादाता के पास पैन कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- फर्म में कार्यरत कर्मचारियो का ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 हेतु श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- निविदादाता का वार्षिक टर्न ओवर कम से कम आगणन की दर का 30 प्रतिशत होना चाहिये जिसकी पुष्टि हेतु सी0ए0 एवं आयकर रिर्टन प्रमाण पत्र से किया जाना अनिवार्य है।
- निविदादाता उत्तराखण्ड का नागरिक होना चाहिये।
- निविदादाता फर्म को किसी संस्था से ब्लैक लिस्टेड न हो, का शपथ पत्र 10 रू0 स्टाम्प पर नोटरी द्वारा नोटराईज कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- चयनित निविदादाता को स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर निविदा की धनराशि पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी द्वारा निर्धारित 100 रू0 स्टॉम्प पेपर जमा कर अनुबन्ध पूर्ण करना होगा।
- निविदादता द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर निविदा निरस्त करने एवं उसकी जमानत धनराशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार निविदा समिति को होगा।

4. निविदा प्रकिया एवं निर्देशन :

प्रक्रिया:–

- सर्वप्रथम तकनीकी निविदा को खोला जायेगा तथा तकनीकी निविदा में उपयुक्त पाये जाने पर ही वित्तीय प्रस्ताव को खोला जायेगा।
- निविदा केवल सीलबन्द निविदा के अनुसार ही प्रस्तुत की जानी है। सभी प्रपत्रों पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर किये जाने आवश्यक है।
- निविदादाताओं को तकनीकी प्रस्ताव के साथ चैक लिस्ट के अनुसार दस्तावेज जमा किया जाना अनिवार्य है। बिना पूर्ण अभिलेखों के निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

निर्देशन:–

- किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में न्याय क्षेत्र टिहरी होगा।

- निविदादाता द्वारा भुगतान, जुर्माना तथा नियम व शर्तो आदि में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं होगा।

5. **स्कोप ऑफ वर्क एवं शर्तें :**

- प्राधिकरण द्वारा यदि पार्किंग हेतु ANPR (Automatic Number Plate Recognition) based computer system उपलब्ध कराया जाता है तो सफल निविदादाता को उसे अनिवार्यता से लागू करना होगा एवं पार्किंग शुल्क इलेक्ट्रोनिक मशीन से ही वसूल करना होगा। जिसके आधार पर पार्क किये वाहनों की संख्या का संकलित विवरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को उपलब्ध कराना होगा।
- कोई भी वाहन 07 दिन से अधिक पार्किंग में पार्क नही होगा।
- पार्किंग स्थल पर रजिस्टर मेन्टेन करना होगा तथा मासिक रिर्पोट जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी को उपल्बध कराना होगा।
- पार्किंग स्थल पर सी0सी0टी0वी0, कैमरे निविदादाता द्वारा लगाया जाना आवश्यक है जिसका बैकअप कम से कम एक माह का रहेगा।
- पार्किंग स्थल पानी की आपूर्ति, , साफ–सफाई, विद्युत आपूर्ति द्वारा पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था निविदादाता द्वारा अपने व्यय पर स्वयं करनी होगी, यदि पार्किंग क्षेत्र में गन्दगी पायी जाती है और प्राधिकरण द्वारा सफाई आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है तो उसमें आने वाले व्यय को निविदादाता को वहन करना होगा।
- पार्किंग में पार्क गाडियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
- संदिग्ध वाहन/वाहन चालकों की सूचना तत्काल पुलिस को दी जानी अनिवार्य होगी जिसका उत्तरदायित्व पार्किंग संचालक का होगा।
- पार्किंग स्थल पर वाहन की देख रेख एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व सफल निविदादाता का होगा एवं इस सम्बन्ध में कोई भी वाद/निर्णय का अनुपालन तथा क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व सफल निविदादाता का होगा।
- पार्किंग स्थल पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) व अन्य मा0 न्यायालयों के आदेश का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
- यातायात एवं जनसुविधा हेतु यदि प्राधिकरण अथवा जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर निविदादाता को कोई क्षति होती है तो प्राधिकरण द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।
- सफल निविदादाता द्वारा पार्किंग में लगाये गये कर्मचारियों को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड में भेजना अनिवार्य होगा। ड्रेस कोड में खडे होगें तथा पार्किंग संचालक हेतु कर्मचारियों के नाम विवरण सहित उपलब्ध करायेगा व बदलाव होने पर सूचित करना होगा।
- निविदादाता द्वारा बीच में पार्किंग का कार्य छोड़ने अथवा निविदा/अनुबन्ध की शर्तो का उल्लधन किये जाने की दशा में उनके द्वारा जमा समस्त धनराशि प्राधिकरण द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा निविदा अन्य किसी भी एजेन्सी को दे दिया जायेगा तथा विभाग को जो भी क्षति होगी उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर ली जायेगी।
- पार्किंग के पास शिकायत पेटी रखनी होगी।

- जल संयोजन एवं विद्युत संयोजन फर्म द्वारा किया जायेगा तथा पानी एवं विद्युत के बिल का भुगतान फर्म द्वारा किया जाएगा।

6. **निविदा शुल्क :**
   - सीलबन्द–निविदा फार्म शुल्क रू0 2360/–

7. **धरोहर राशि :**
   - निविदा हेतु धरोहर राशि के रूप में रू0 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि का डी0डी0 जो सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी के नाम बंधक हो, को तकनीकी बिड में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   - धरोहर राशि/निविदा शुल्क सम्बन्धी रसीद/एफ0डी0 आर0/ की हार्ड कापी सील बन्द लिफाफे में प्राधिकरण में निविदा डालने की अन्तिम तिथि एवं निर्धारित समय तक जमा करना अनिवार्य है। धरोहर राशि/निविदा शुल्क प्राप्त न होने की स्थिति में निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

8.**कार्यपूर्ति प्रतिभूतिज**
   - अनुबन्ध के सम्यक रूप से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदादाता फर्म जिसके पक्ष में अनुबंध दिया जायेगा, से कार्यपूर्ति प्रतिभूति ली जायेगी। अनुबंध में निहित धनराशि के मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए कार्यपूर्ति अनुबंध मूल्य के 5 प्रतिशत होगी, कार्यपूर्ति प्रतिभूति सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी, के नाम सावधि जमा रसीद या बैंक गारन्टी के मूल्य में करना होगा।
   - कार्यपूर्ति धरोहर निविदादाताओं के संविदा से सम्बन्धित सभी दायित्व सम्मिलित है। कार्य अवधि पूर्ण होने के दिवस से 60 दिवस तक वैध होना आवश्यक है।
   - सफल निविदादाता द्वारा कार्यपूर्ति धरोहर प्रस्तुत करने के बाद उसकी निविदा धरोहर वापस कर दी जायेगी। शेष निविदादाताओं की धरोहर धनराशि अनुबन्ध गठन होने की तिथि से 30 दिन के बाद अवमुक्त कर दी जायेगी।

9. **निविदा विधि :**
   - इच्छुक निविदादाताओं से द्विस्तरीय सीलबन्द निविदा आमंत्रित हैः–

(a)–तकनीकी प्रस्ताव– निविदा से सम्बन्धित दस्तावेज/शपथ पत्र/धरोहर राशि/टेण्डर फीस एवं चैक लिस्ट से सम्बन्धित सभी अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे। इस लिफाफे के कवर पर "तकनीकी निविदा" लिखा जाना अनिवार्य होगा।

(b)–वित्तीय प्रस्ताव– वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा जो कि निविदा पत्र के साथ संलग्न पर बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होगा। इस लिफाफे के कवर पर "वित्तीय निविदा" लिखा जाना होगा।

तकनीकी निविदा सम्बन्धी विवरणः–

- निविदा वेबसाईट– https://uhuda.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा शुल्क जमा कर प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- निविदा भरे जाने से पूर्व निविदा शुल्क की धनराशि रू0–2360/– गये विवरण के अनुसार किया जाना है।

- भुगतान पर्ची/रसीद को तकनीकी दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय उत्तराखण्ड का स्थाई निवास प्रमाण पत्र, पैनकार्ड कार्ड, जी0एस0टी0 नम्बर की छायाप्रति, एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 की छायाप्रति तथा 2 स्वंय सत्यापित फोटो तकनीकी निविदा के साथ उपलब्ध करना अनिवार्य है।
- फर्म में कार्यरत सभी कर्मचारियों का ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 हेतु पंजीकरण श्रम विभाग से कराया जाना अनिवार्य है।
- निविदा के धरोहर के रूप में रू0–1,50,000/–की धनराशि की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 की छायाप्रति तकनीकी बिड में संलग्न करनी अनिवार्य होगी जो कि सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी के नाम प्लेज होगी।
- निविदादाता द्वारा 03 वर्ष का आयकर रिर्टन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा आगणन की राशि का कम से कम 30 प्रतिशत धनराशि के बराबर निविदादाता का प्रत्येक वर्ष टर्न ओवर होना अनिवार्य है।

वित्तीय प्रस्ताव :–

- निविदा प्रक्रिया में उक्त कार्य हेतु बी0ओ0क्यू0 के अनुसार दरें प्रस्तुत की जायेंगी। निविदादाता द्वारा दी गयी दर में पार्किंग की 03 वर्ष की धनराशि तथा अलग से 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की दर दी जायेगी। जी0एस0टी0 की धनराशि अलग से दर्शाया जाना अनिवार्य है। (संलग्न–1 बी0ओ0क्यू0)
- उच्चतम दरें प्रतिशत के आधार निविदादाता फर्म का चयन किया जायेगा।
- वित्तीय निविदा हेतु तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

वित्तीय निविदा सम्बन्धी विवरणः–

- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी द्वारा पार्किंग हेतु न्यूनतम् आरक्षित धनराशि रू0–30,00,000/ प्रतिवर्ष–(शब्दों में रू0 तीस लाख मात्र) 03 वर्षो हेतु निर्धारित है। रू0–30,00,000/– से कम धनराशि की वित्तीय निविदा अंकित करने वाले निविदादाता की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने पर उक्त निर्धारित अवधि हेतु स्वीकृत पार्किंग शुल्क की धनराशि को निम्नवत् जमा करना होगा।

निविदा की अवार्ड की तिथि से 07 दिवस के अन्तर्गत निविदा के मूल्य का प्रतिशत भाग	**10 प्रतिशत**
अनुबन्ध की तिथि से प्रथम वर्ष के प्रथम छमाही के अन्तर्गत निविदा के मूल्य का प्रतिशत भाग	**10 प्रतिशत**
प्रथम वर्ष के द्वितीय छमाही के अन्तर्गत निविदा के मूल्य का प्रतिशत भाग	**20 प्रतिशत**
द्वितीय वर्ष के प्रथम छमाही के अन्तर्गत निविदा के मूल्य का प्रतिशत भाग	**20 प्रतिशत**
द्वितीय वर्ष के द्वितीय छमाही के अन्तर्गतनिविदा के मूल्य का प्रतिशत भाग	**20 प्रतिशत**
तृतीय वर्ष के प्रथम छमाही के अन्तर्गत निविदा के मूल्य का प्रतिशत भाग	**20 प्रतिशत।**

- निविदादाता को पार्किंग हेतु स्वीकृत निविदा धनराशि पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 का भुगतान अतिरिक्त करना होगा। जी0एस0टी0 जमा करवाने के उपरान्त समय–समय पर जमा की गयी धनराशि की रसीद प्राधिकरण कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता को पार्किंग का संचालन कार्य दिनांक तक सुचारू रूप से पूर्ण करने के उपरान्त जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।

10. **पैनल्टी :**

- निर्धारित तिथि तक पार्किंग की धनराशि जमा न करने की दशा में 12 प्रतिशत का ब्याज राशि पृथक से देय होगा।
- निविदादाता द्वारा पार्किंग स्थल पर किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण व अतिक्रमण नही करेगा तथा न ही किसी अन्य को सबलेट करेगा।
- उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।
- बिना पर्ची के पार्किंग शुल्क लेने पर रूपये – 1000.00 (एक हजार रूपये) प्रति वाहन पेनल्टी लगायी जायेगी।

11. **विवाद की स्थिति :**

- फर्म तथा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी के मध्य कोई विवाद होने पर उसका निपटारा उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण स्तर पर किया जायेगा।
- किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में न्याय क्षेत्र टिहरी होगा।

12. **निविदा स्वीकार/ स्वीकृति :**

- किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी के पास सुरक्षित है।

13. **क्षतिपूर्ति :**

- किसी भी कारण वश वाहन चोरी/क्षति होने पर पूर्ण जिम्मेदारी/ जबाबदेही सफल निविदादाता फर्म/व्यक्ति की होगी।
- निविदा प्राधिकारी कार्यालय से किसी भी वाहन/व्यक्ति की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जायेगा।

14. **कार्य आदेश :**

- यदि सफल निविदादाता फर्म द्वारा अनुबंध/कार्य आदेश के बाद निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ नहीं करता अथवा संतोषजनक रूप से पार्किंग संचालित नही कर पाता है अथवा शर्तो का उलंघन करता है तो निविदादाता की धरोहर राशि जब्त करते हुए उसका अनुबंध एवं निविदा को निरस्त किया जायेगा अथवा फर्म को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।

15. **कार्य अवधि :**

- उक्त कार्य की अवधि 01.06.2025 से 31.05.2028 तक के लिये है, जिसे आपसी सहमति से और बढाया जा सकता है।

16. **निविदा वैधता :**

- निविदा की वैधता 60 दिन की होगी।

17. **विलम्ब से प्राप्त निविदा :**

- देर से प्राप्त (निर्धारित तिथि एवं समय के बाद) निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

18. **निविदा का प्रकाशन :**

- निविदा उत्तराखण्ड की वेबसाइट– https://uhuda.uk.gov.in पर प्रकाशित किया जायेगा।
- निविदा प्रक्रिया में विस्तार एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने की दशा में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जायेगा।

19. **चैक लिस्ट :**

- सील बन्द निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु चैक लिस्ट के अनुसार आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा। इसके अतिरिक्त निविदा में यदि कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशन किया गया है तो उसका अनुपालन भी आवश्यक है। **संलग्नक–2**

संलग्नक –1

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा मुनिकीरती के अन्तर्गत खारास्त्रोत में (वित्तीय वर्ष –2025–2026, 2026–2027 एवं 2027–2028 03 वर्षीय हेतु) पार्किंग संचालन के लिये निविदा आमंत्रित

(वित्तीय बिड–**BOQ** प्रपत्र)

कार्य का नाम जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी द्वारा मुनिकीरेती के अन्तर्गत खारास्त्रोत में पार्किंग संचालन।	पार्किंग के संचालन हेतु निविदा की वित्तीय दर (रूपये में)	18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त

संलग्नक –2

निविदा प्रेषित किये जाने से पूर्व अभिलेख जांच सूची (चैक लिस्ट) :

क्रम सं0	अभिलेख का विवरण	संलग्न किया (हॉ/नही)	विवरण/अभियुक्ति
1.	उत्तराखण्ड का स्थाई निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा 2 स्वंय सत्यापित फोटो		
2.	निविदा क्रय करने सम्बन्धी रसीद का विवरण		
3.	निविदा हेतु धरोहर राशि के रूप में रू0 1, 50,000.00 (एक लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि का एफ0डी0 आर0/सी0डी0आर0/डी0डी0 जो सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी के नाम बंधक हो, को तकनीकी बिड में संलग्न करना अनिवार्य होगा।		
4.	जी0एस0टी0, पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति।		
5.	फर्म में कार्यरत सभी कर्मचारियो का ई0पी0एफ0/ई0एस0आई0 हेतु श्रम विभाग में पंजीकरण की छायाप्रति।		
6.	पैन कार्ड की छाया प्रति		
7.	वित्तीय वर्ष 2021–2022, 2022–2023 एवं 2023–24 तक (तीन वर्ष का) आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।		
8.	निविदादाता का वार्षिक टर्न ओवर आगणन के मूल्य का 30 प्रतिशत कम से कम होना चाहिए जो सी0एस0 द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।		
9.	रू0 100.00 के स्टाम्प पर नोटरी द्वारा निर्गत लिटीगेशन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।		
10.	100 रू0 के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा निर्गत शपथ–पत्र कि निविदादाता का नाम काली सूची में सम्मिलित नही है।		
11.	शर्तों एवं प्रतिबन्धों की स्वीकारोक्ति सम्बन्धी प्रपत्र (अनुलग्नक –1)		